मकबूल अली पुत्र लखे खां --:: बनाम ::-- जमाला खातून वगैरह (1 ता 5) व हड़मान पुत्र रामचन्द्र आदि

02-05-2018

वादी मकबूल अली की ओर से दावा अन्तर्गत धारा – 53, 88, 188 RTA पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की चक 2 BRWM के मुरब्बा सं. 141/ 23 की 18.10 बीघा कमाण्ड खातेदारी विरास्तन भूमि बरूए रिकॉर्ड दर्ज है । पिता की मौत के बाद माता व बहिनों की सहमति से तीनों भाईयों में 1/3 हिस्से के बंटवारे के बाद उनका ही कब्जा काश्त है । वादी को ऋण की आवश्यकता के मद्यनजर खाता विभाजन की बात करने पर प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने केवल 1/6 हिस्से का ही उसके नाम भूमि का हवाला देते हुए बेचान की बात कही । दिनांक 30-10-2017 को प्रतिवादीगण की एलानिया धमकियों के मद्यनजर वादहेतुक प्राप्त होने से वादी अपने हितों की चिरनिषेद्याज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण चाह्ता है तथा यदि कोई बोगस दस्तावेज बेचान की फिराक में किया हो तो उसे शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जावे ।

जवाब में प्रतिवादी सं. 6 हड़मान द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी का 1/3 हिस्से का घरेलू बंटवारा मिथ्या कथन है । वादी मकबूल अली अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि का बेचान रजिस्टर्ड बैनामा से प्रतिवादी को कर चुका है तथा खरीद के बाद से ही इस भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा है । दस्तावेज के साथ रजिस्ट्री की प्रतिलिपि पेश की ।

प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है । प्रतिवादी सं. 7 द्वारा प्राईवेट पक्षकारों के मध्य विवाद के होने व राज्यपक्ष को कोई हानि नहीं होने से जवाब देना आवश्यक नहीं माना ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 25.10.2017 को किया जा चुका है । अतः वादी, इस वाद के माध्यम से किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । वादी यदि घरेलू बंटवारे के आधार पर 1/3 हिस्से की भूमि चाहता तो उसे पिता की मृत्यु के बाद जरीये दस्तबरदारी अपना हक प्राप्त करना चाहिये था तत्पश्चात् बंटवारे की कार्यवाही करानी चाहिये थी । यदि वादी को दिनांक 25.10.2017 को हुए बैनामा की वैद्यता पर संदेह है तो नियमानुसार सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहिये । इस वाद पत्र के माध्यम से वादी, किसी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने का वैद्य अधिकार नहीं रखता है लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है । पक्षकार अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे ।

निर्णय सुनाया गया ।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला बीकानेर)